APPENDIX-XVI

## CERTIFICATEOFREGISTRATIONOFSOCIETIES

I here by certify that Premlata mishra Educational and Welfare Trust ,Pandeypur surauli Baregawn Dist-Sultanpur U.P.2 has this day been registered under the Societies Registration Act XXI of 1860 .

Given under my hand at Jaysinghpur Sultanpur at Registrar Ofiice Jaysinghpur this **23 March Two Thousand Thirteen**

Seal & Signature of Registrar of Trust

Place: Jaisinghpur

Date:11-10-2025

***The filled up certificate should be either in Hindi or English.If it is issued inverna cular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.**

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 344377

# न्यास घोषणा पत्र

यह न्यास घोषणा पत्र श्री बंशीधर मिश्रा संस्थापक एवं प्रबन्ध ट्रस्टी द्वारा स्थापित किया जाता है यह न्यास व न्यास मण्डल निम्नलिखित होगा।

| क्र0सं0 | नाम | पिता का नाम व पता | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बंशीधर मिश्रा उम्र लगभग 55 वर्ष | श्री चन्दशेखर मिश्रा निवासी ग्राम पाण्डेयपुर सुरौली, पोस्ट बडेगांव, गोसाईगंज, जिला सुलतानपुर | प्रबन्ध ट्रस्टी |
| 2 | श्री दीपक मिश्रा | श्री बंशीधर मिश्रा निवासी ग्राम पाण्डेयपुर सुरौली, पोस्ट बडेगांव, गोसाईगंज, जिला सुलतानपुर | सदस्य |
| 3 | श्री संदीप मिश्रा | श्री बंशीधर मिश्रा निवासी ग्राम पाण्डेयपुर सुरौली, पोस्ट बडेगांव, गोसाईगंज, जिला सुलतानपुर | सदस्य |

श्री बंशीधर मिश्रा द्वारा इस न्यास की स्थापना की गई एवं 5000/– (पाँच हजार रुपये मात्र) इस न्यास के फण्ड के रुप में प्रदान किया गया एवं इस न्यास का नाम प्रेमलता मिश्रा एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट रखा गया। इस न्यास के उद्देश्य एवं कार्य निम्न है –

बंशीधर मिश्रा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 283223

1. प्रेमलता मिश्रा एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट
2. कार्यक्षेत्र–सम्पूर्ण भारत वर्ष रहेगा तथा इसका मुख्य कार्यालय ग्राम पाण्डेयपुर, सुरौली, पोस्ट बड़ेगांव, गोसाईगंज, परगना–बरौसा, तहसील जयसिंहपुर, जिला सुलतानपुर होगा एवं आवश्यकतानुसार प्रबन्ध ट्रस्टी द्वारा बदला जा सकता है।
3. न्यास के उद्देश्य :

1. शिक्षा, शिक्षा के सम्बन्धित समस्त कार्य करना, जिसमें प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, मदरसा, डिग्री कालेज, परास्नातक कालेज, बी0एड0 कालेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक कालेज, बी0टी0सी0 कालेज, नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेन्ट कालेज एवं अन्य विभिन्न प्रकार के शिक्षण से सम्बन्धित संस्थानों, ट्रेनिंग संस्थानों का स्थापना करना

प्रबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 283224

एवं सफलता पूर्वक संचालन करना। शिक्षा सम्बन्धी सरकारी योजनाओं व संचालन करना एवं उपरोक्त सभी कार्यो के लिए ग्रान्ट दान, चन्दा, ऋ इत्यादि प्राप्त करना।

2. स्वास्थ्य – स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त कार्य करना जैसे हास्पिटल नर्सिंग होम खोलना, स्वास्थ्य कैम्प, स्वास्थ्य सेमीनार, परिवार नियोजन कार्यक्रम अथवा निवारण कार्यक्रम, क्षय रोग कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, पल पोलियो, बिकलांग से सम्बन्धित कार्यक्रम आदि की स्थापना एवं संचाल करना।

3. ग्रामीण एवं शहरी विकास– ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए विभिन सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यो को क्रियान्वित करना एवं सफलता पूर्व संचालन करना।

बंशीधर मिश्रा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 283225

4. <u>सामाजिक कार्य –</u> समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जैसे छुआ–छूत, नशा उन्मूलन, दहेज प्रथा आदि को दूर करने से सम्बन्धित कार्यक्रम करना।

5. <u>सांस्कृतिक कार्यक्रम –</u> विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना मस्जिद एवं इमामबारा गाह, पूजा पाठ के लिए मन्दिर, धर्मशाला, गौशाला, पुस्तकालय, समागार, वृद्धा आश्रम, वाचनालय आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना।

6. <u>केन्द्रीय विद्यालय –</u> सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0सी0, एन0सी0आर0टी0, एवं शिक्षा परिषद से मान्यता लेना एवं विद्यालयों की स्थापना तथा संचालन करना, गांव–गांव में संस्था की शाखाओं का निर्माण करना एवं उन्हें प्रधान कार्यालय से जोड़ना। सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पत्र–पत्रिका प्रकाशन के

वंशीधर मिश्रा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 283226

लिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करना, बच्चों की शारीरिक शिक्षा , व्यायाम एवं खेलों का आयोजन करना।

7. ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न समितियों एवं उपसमितियों का निर्माण भी कर सकेगा। जिसमें ट्रस्टी/ट्रस्टियों के अतिरिक्त अन्य परिजनों एवं कर्मठ नागरिकों का भी समावेश किया जा सकेगा। इस समितियों/उपसमितियों हेतु नियम/उपनियम प्रबन्ध ट्रस्ट के द्वारा बनाये जा सकेगें, पूर्णतया बन्धन कारक होगें। समितियों एवं उपसमितियों को भंग करने अथवा पुर्नगठित करने का अधिकार प्रबन्ध ट्रस्ट को होगा। ट्रस्ट मण्डल, समितियों/उपसमितियों के निर्माण में कर्मठ, उत्साही एवं तेजस्वी कार्यकर्ताओं को समुचित स्थान दिया जायेगा। ट्रस्टी भी सदस्य के रुप में हो सकते हैं। नियुक्ति कर्ताओं को प्रबन्ध ट्रस्टी कार्यमुक्त कर सकता है।

बंशीधर मिश्रा

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 21AA 280654

प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाकर उपयोगी जानकारी देना, संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकती है, ऋण प्रपत्र एवं अन्य सम्बन्धित कागजात पर हस्ताक्षर का अधिकार प्रबन्ध ट्रस्टी का होगा।

4. बैठकें – न्यास मण्डल द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक सामान्य बैठक व आवश्यकतानुसार विशेष बैठक/बैठके बुलायी जायेगी। न्यास मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता न्यास के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा जो प्रबन्ध न्यासी होगा।

5. रिक्त स्थानों की पूर्ति – किसी न्यासी की मृत्यु की दशा में उसका बड़ा पुत्र ही न्यासी होगा।

6. कार्यकाल – न्यास मण्डल का कार्यकाल अनवरत आस्तित्व में रहेगा अतएव इसका कोई कार्यकाल नहीं है जबतब न्यास का आस्तित्व रहेगा, तब तक न्यास मण्डल का भी आस्तित्व बना रहेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 21AA 280655

7. न्यास की सदस्यता समाप्ति – यदि कोई सदस्य मानसिक रुप से विक्षप्ति हो जाये, मृत्यु हो जाय, ट्रस्ट मण्डल द्वारा हटा या निकाल दिया जाय, स्वयं त्याग पत्र दे दे या संस्था को क्षति पहुचायें या अपराधिक प्रवृत्त का हो, तो उसके स्थान पर ट्रस्ट मण्डल नये ईमानदार कर्मठी ट्रस्ट के प्रति समर्पित व्यक्ति का प्रबन्ध ट्रस्टी द्वारा चयनित किया जायेगा। निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

8. न्यास स्थल में संशोधन – न्यास स्थल में संशोधन न्यास ट्रस्टी के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है।

9. न्यास की प्रकृति – यह न्यास सार्वजनिक, चैरिटेबल न्यास है अतएव इस न्यास पत्र के समस्त प्राविधान उस दृष्टिकोण से पढे व समझे जाय।

वंशीधर मिश्रा

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

10. न्यास के विघटन – यदि किसी कारण वश न्यास का विघटन किया जाना जरुरी हो जाता है तो इसका पूरा अधिकार प्रबन्ध ट्रस्टी का होगा।

11. न्यास के प्रबन्ध ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. न्यास मण्डल की बैठकों में भाग लेना।
2. न्यास मण्डल की बैठक मतदान की स्थित में बराबर मत की दशा में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
3. न्यास की ओर से न्यासी के समस्त वैधानिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
4. न्यास के खाता एवं खातों का संचालित करना।
5. न्यास के द्वारा अथवा इसके विरुद्ध अदालती एवं कानूनी कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी निभाना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

6. न्यास के समस्त चल–अचल सम्पत्ति का रख–रखाव व नियंत्रण एवं न्यास हित में क्रय–विक्रय आदि करना।

7. न्यास के समस्त रिकार्ड व एवं कागजातों का रख–रखाव करना।

8. आय–व्यय से जुड़े प्रपत्रों की जॉचकर उसे प्रतिहस्ताक्षरित करना।

9. न्यास के आय–व्यय से सम्बन्धित लेखा–जोखा तैयार करवाना तथा र नियमानुसार किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से आडिट करवाकर उसे न्यास नम्र की सामान्य बैठक में अनुमोदन हेतु करना।

10. बैठकों से ऋण लेने की दशा में बैंक लोन सम्बन्धी अन्य समस्त कागजात हस्ताक्षर करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH 21AA 200658

12. न्यास का कोष – न्यास का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/प्राइवेट बैंक, शैड्यूल/पोस्ट ऑफिस इत्यादि में खाता खोला जा सकता है जिसका संचालन प्रबन्ध ट्रस्टी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही कर सकेगा।

13. न्यास की सम्पत्ति को बन्धक रखने का अधिकार – न्यास अपने उददेश्यों की पूर्ति हेतु बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करेगा एवं उसके लिए न्यास की सम्पत्ति को बन्धक भी रख सकेगा। बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने एव न्यास सम्पत्ति को बन्धक रखने का अधिकार प्रबन्ध ट्रस्टी का होगा एवं इस सम्बन्ध समस्त कागजात पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रबन्ध ट्रस्टी को ही होगा।

14. न्यास निधि – न्यास हित के तहत पोरपस फण्ड 5000/– (पॉच हजार रुपया मात्र) रखा गया है एवं न्यास को भविष्य में अन्य दान, अनुदान, विधि व्यवहार या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त चल या अचल सम्पत्ति को न्यास की सम्पत्ति मे सम्मिलित होगा।

वंशीधर मिश्रा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 85AB 668407

15. न्यास मण्डल के सदस्यों की संख्या– न्यास मण्डल में कम से क सदस्य एवं ज्यादा से ज्यादा तीन सदस्य हो सकते हैं।

16. न्यास के हित में चल –अचल सम्पत्ति खरीदने तथा बेचने का प्रबन्ध ट्रस्टी को रहेगा एवं वही इस सम्बन्ध में समस्त कागज हस्ताक्षर करेगा।

ट्रस्ट

प्र0:

वेलफेयर ट्रस्ट

ट्रस्ट

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

साक्षी के हस्ताक्षर –

मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी के हस्ताक्षर

वंशीधर मिश्र

1– रामबेला मिश्र पुत्र रामअवधमिश्र
ग्राम ... मजरे ... प. ... अमेठी सुल्तानपुर

मसविदा कर्ता के हस्ताक्षर

2– सुरेश सुत श्री वंशीलाल अरुण कुमार पाण्डेय

3– ग्राम मधुबन प. ... त-जयसिंहपुर सुल्तानपुर

टाइपकर्ता के हस्ताक्षर – जितेन्द्र कुमार यादव

जितेन्द्र कुमार यादव

दिनाँक 23-03-2012ई०